न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—20/2021 (2021/46) वादपत्र

अनवान

1. रामस्वरूप पिता रामचन्द्र मुन्दड़ा (महाजन) निवासी रायपुर, तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता लक्ष्मीलाल सुनार निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल सुनार निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पत्नि जगदीशचन्द्र पूर्बिया गाडरी निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. झड़ौल तहसील रायपुर जरिये व्यवथापक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—28.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2138 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 2139 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 2144 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2145 रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 538 पर दर्ज होकर स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का सयुंक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी एवं खातेदार मनोहरलाल पिता रामचन्द्र मुन्दड़ा वादी [illegible] भाई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके विधिक वारीसान दीपककुमा[illegible]ाल व कान्तादेवी पत्नि मनोहरलाल जिन्हाने उनका निहित हिस्सा [illegible] दिनांक 18.0[illegible] को कर दिया। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि कब्जे व प्राथमिकता देते ज[illegible]स एण्ड बोण्ड्स से विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी का कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है जिसका अलग स्वंतत्र खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

कायम किये जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 12.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने कर निर्णय एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 फॉरमल पक्षकार है जिनसे कोई दाद नही चाही गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर जवाब व काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि पत्र की कलम नम्बर 01 में जहां तक भूमियां संयुक्त खातेदारी अधिकार से दर्ज हैं, स्वीकार हैं। किन्तु वादग्रस्त आराजियात संयुक्त कब्जे काश्त की नहीं हैं। वरन उक्त वर्णित आराजियात पर साबिक आराजियात से ही पूर्व तात्कालीन खातेदारों द्वारा ही मौके पर अलग–अलग विभाजन कर अलग–अलग मौके पर विभाजन अनुसार कब्जा हैं। और उसी अनुसार पूर्व खातेदारों ने वादी एवं हम प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 03 को जहां कब्जे सौंपे वहीं पर काबिज होकर चले आ रहे हैं। इसलिये भूमियां संयुक्त कब्जेकाश्त की नहीं हैं। व मौके पर भूमियां अविभाजित नहीं हैं। वाद पत्र की कलम नम्बर 02 का जवाब इस प्रकार हैं कि वादी का 1/3 हिस्सा नहीं होकर 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं। और 1/6 हिस्सा उसके भाई मनोहरलाल के हिस्से में हैं। तथा उसकी मृत्यु होने से उसके वारीसान के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। भूमियां संयुक्त कब्जे में नहीं होकर मौके पर करीबन 100 वर्ष से भी अधिक समय से बंटवाड़ा होकर उसी अनुसार काबिज हैं। तथा वादी ने स्वीकार किया है कि वादी उसके हिस्से पर काबिज है तथा उसने श्रम और रूपया लगाकर काबिल काश्त कर उपजाउ बनाया है। अर्थात् स्पष्ट है कि मौके पर अलग–अलग कब्जे से आ रहे है और मौके पर विभाजन हो चुका है तथा हम प्रतिवादीगण के को यथावत् रखते हुए उस रकबे को हम प्रतिवादी के नाम में रखते हुए विभाजन करवाया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 3. यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 03 में वर्णित हम प्रतिवादी से संबंधित नहीं है और यदि रिलीज डीड करवा दिया है, तो उसका नामान्तरणकरण दर्ज करने के पश्चात् ही वादी रिलीज डीड कर्ता के हिस्से का खातेदार बनता है और विभाजन का वाद एक सहखातेदार ही कानूनन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अभाव में अनुतोष के बिना यह [illegible] लिये वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाना विधि द्वारा वर्जित है, और वाद पत्र चलने [illegible] है। सम्पूर्ण वाद पत्र में वादी ने इस संबंध में कोई घोषणात्मक दाद [illegible] है, इस[illegible] वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं। मजीद कथन एवं काउन्टर क्लेम में [illegible] किया कि कि उक्त वर्णित आराजियात के साबिक आराजी संख्या 2429 रकबा 16 बिस्वा, साबिक [illegible]राजी संख्या 2430 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा साबिक आराजी संख्या 2431 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा साबिक आराजी आराजी संख्या 2445/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

थी। जो पूर्व में मनोहरलाल, किरणकुमार पिता भंवरलाल बणुट निवासी रायपुर के नाम पर 1/3 हिस्सा से दर्ज रेकार्ड थी, जिसको हम प्रतिवादीगण ने खरीदाकर कब्जा प्राप्त किया तथा तत्समय मौके पर विभाजन अनुसार मनोहरलाल व किरण कुमार साबिक आराजी संख्या 2431 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर काबिज थे और उससे पूर्व मनोहरलाल, किरण कुमार बणुट ने नीलापत पिता सवाईराम जी सोनी निवासी रायपुर से उक्त भूमि खरीद कर इसी जगह कब्जा प्राप्त किया। जिसके दौराने सेटलमेंट नवीन नम्बर 2138 रकबा 0.46 हैक्ट बने। व 0.06 हैक्ट, रकबे को नवीन आराजी 2144 में मिलाते हुए इसका रकबा 0.25 हैक्ट कायम किया गया। जिससे हम प्रतिवादीगण आज मौके पर नवीन आराजी संख्या 2138 रकबा 0.46 हैक्ट व नवीन आराजी संख्या 2144 के 0.06 हैक्ट. रकबे पर यानि कुल 0.52 हैक्ट. आज भी वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा इस आराजियात पर हम प्रतिवादीगण ने काफी श्रम व रूपये लगाकर उक्त भूमि को आबाद किया है। व उपजाउ बनाकर विकसित किया हैं। जिससे हम प्रतिवादीगण जरिये काउन्टर क्लेम घोषणात्मक डिक्री जारी करवा उक्त कब्जे को हम प्रतिवादीगण के नाम पर विभाजन में यथावत् रखते हुए विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादी के पिता रामचन्द्र जी ने उक्त वर्णित आराजियात में दर्ज 1/3 हिस्से को खेमराज पिता सवाईराम सोनी निवासी रायपुर से क्रय किया था, और जहां वे काबिज थे। उसी जगह मौके पर काबिज हुए थे तथा प्रतिवादी संख्या 3 मांगीदेवी गाडरी ने उसका हिस्सा कालुराम पिता मोडीराम डांगा निवासी रायपुर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा कालुराम जी डागा ने उक्त हिस्सा रतनलाल पिता सवाईराम सोनी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था और जहां वे काबिज थे वही पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 आज भी काबिज चले आ रहे है और कब्जे अनुसार वादी आराजी आराजी संख्या 2144 के 0.06 है0 रकबे को छोड़कर शेष रकबे पर तथा प्रतिवादी संख्या 3 आराजी संख्या 2145 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा आराजी संख्या 2139 पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 आधे—आधे रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार 100 वर्षो पूर्व से होकर सभी पक्षकारान काबिज चले आ रहे जिससे उक्तानुसार ही विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2022 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2138 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 2139 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 2144 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2145 रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्से का का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 28.04.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 612 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2144 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2145/1 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2139/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र महाजन सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2138 रकबा 0.46 है0 भैरूलाल 1/2 रामचन्द्र 1/2 पिता लक्ष्मीलाल सुनार सा.देह खातेदार रहन जी.एस.एस. रायपुर हिस्सा भैरूलाल पर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2145/2 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2139/2 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि मांगीदेवी पत्नि जगदीश चन्द पुर्बिया गाडरी सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—20/2021 (2021/46) वादपत्र

अनवान

1. रामस्वरूप पिता रामचन्द्र मुन्दड़ा (महाजन) निवासी रायपुर, तहसील रायपुर

बनाम वादी

1. भैरूलाल पिता लक्ष्मीलाल सुनार निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल सुनार निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पत्नि जगदीशचन्द्र पूर्बिया गाडरी निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. झड़ौल तहसील रायपुर जरिये व्यवथापक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 612 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2144 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2145/1 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2139/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र महाजन सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2138 रकबा 0.46 है0 भैरूलाल 1/2 रामचन्द्र 1/2 पिता लक्ष्मीलाल सुनार सा.देह खातेदार रहन जी.एस.एस. रायपुर हिस्सा भैरूलाल पर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2145/2 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2139/2 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि मांगीदेवी पत्नि जगदीश चन्द पुर्बिया गाडरी सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

28/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested